भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

क्र0 858/का.यंत्री/01/भोविप्रा/2022 भोपाल, दिनांक 9/05/2022

"प्रारूप उन्नीस

[नियम 19(13) देखिए]

धारा 50 की उप–धारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप–धारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक 201/2020 अर्थात् ग्राम मिसरोद, जाटखेड़ी, कटारा, बागली, बर्रई 45 मीटर मार्ग योजना, को संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

उक्त स्कीम के अभिन्यास, मूल भूखण्ड तथा अन्तिम भूखण्ड को दर्शाते हुए तथा प्रारूप– उन्नीस(क) प्रारूप–उन्नीस(ख) तथा प्रारूप–उन्नीस(ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:

1 भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल।

2. कलेक्टर जिला भोपाल।

3. नगर तथा ग्राम निवेश का जिला कार्यालय भोपाल, सिहोर, रायसेन ।

4. नगर पालिक निगम, भोपाल।

5. प्राधिरकण की वैबसाईट अर्थात www.bda.org.in.

उपरोक्त स्कीम दिनांक 13/05/2022 से प्रभावशील होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
(भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल)